

बिहार सरकार
अभियंता प्रमुख का कार्यालय
लघु जल संसाधन विभाग,
जल भवन, तृतीय तल्ला, राईडिंग रोड, शेखपुरा, पटना।
E-mail Id- engg.chf-bih@gov.in

आदेश

सं0सं0-आ0/अभि0प्र0/ल0ज0सं0वि0/मु0 स्था0-29-01/2025- 1079/पटना, दिनांक- 17.09.25

माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली में दायर एस0एल0पी0(सी0) सं0-7257/2023 शशि भूषण प्रसाद सिंह बनाम बिहार राज्य एवं अन्य मामले में दिनांक-04.10.2024 को पारित न्याय-निर्णय के आलोक में बिहार तकनीकी सेवा आयोग, पटना के पत्रांक-21 दिनांक-01.01.2025 द्वारा विज्ञापन सं0-01/2019 के अन्तर्गत कनीय अभियंता (याँत्रिक) के पद पर सीधी नियुक्ति हेतु लघु जल संसाधन विभाग को प्राप्त अनुशंसा के आलोक में विभिन्न अवधियों में अभ्यर्थियों के शैक्षणिक एवं संगत प्रमाण-पत्रों का सत्यापन किया गया। प्रमाण-पत्रों के सत्यापन में उपस्थित अभ्यर्थियों, जिनके द्वारा वांछित कागजात उपलब्ध कराया गया, उनकी नियुक्ति कतिपय शर्तों के अधीन कनीय अभियंता (याँत्रिक) के पद पर परीक्षा पर की गयी है।

2. अभियंता प्रमुख कार्यालय, लघु जल संसाधन विभाग, पटना के आदेश सं0-954 दिनांक- 21.08.2025 द्वारा परीक्षा पर नवनियुक्त निम्नांकित 02 (दो) कनीय अभियंता (याँत्रिक) को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-6 में अंकित कार्यालय में अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है:-

क्र0 सं0	नवनियुक्त कनीय अभियंता का नाम/ गृह जिला	पिता/ पति का नाम/ स्थायी पता	समेकित मेधा क्रमांक/ पंजीयन सं0	जन्म तिथि	पदस्थापन कार्यालय का नाम	अभ्यु0
1	2	3	4	5	6	7
1	मो0 सईद/ गोपालगंज	मो0 शाह मोहम्मद, ग्राम-दुलदुलिया, पो0+थाना-मांझागढ़, जिला-गोपालगंज, पिन कोड-841427	206 BR00150010076423	05/06/1996	लघु सिंचाई प्रमण्डल, शिवहर	
2	श्रीमती सीमा कुमारी/ सीतामढ़ी	श्री राम बाबू प्रसाद, ग्राम-गोविन्द फंदह, पो0-रीगा, थाना-पुनौरा, जिला-सीतामढ़ी, पिन कोड-843327	958 BR00150010069885	21/06/1990	लघु सिंचाई प्रमण्डल, हाजीपुर	

3. नवनियुक्त कनीय अभियंता(याँत्रिक) को आदेश निर्गत होने की तिथि से एक माह के अन्दर पदस्थापन स्थान पर योगदान देना अनिवार्य होगा।

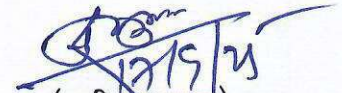
4. संबंधित कार्यालय नवनियुक्त कनीय अभियंता(याँत्रिक) के योगदान के समय शैक्षणिक प्रमाण-पत्र एवं अन्य संगत प्रमाण-पत्रों की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति प्राप्त करेंगे एवं मूल प्रमाण-पत्रों से मिलान कर संतुष्ट हो लेंगे। साथ ही स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति का संधारण कर लेंगे।

5. नवनियुक्त वैसे कनीय अभियंता(याँत्रिक), जो वर्तमान में किसी राज्य सरकार/ भारत सरकार/ सरकारी उपक्रम में कार्यरत हैं, उन्हें योगदान के समय विरमण आदेश/ त्याग पत्र स्वीकृति आदेश समर्पित करना आवश्यक होगा अन्यथा उनका योगदान स्वीकृत नहीं किया जायेगा।

6. जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-171 दिनांक-14.01.2025 के आलोक में बिहार सरकार के अंतर्गत संविदा नियोजित कनीय अभियंता नियमित नियुक्ति के पश्चात् पदस्थापन के उपरांत संविदा नियोजन से त्याग-पत्र समर्पित करने के अगले दिन ही पदस्थापित कार्यालय में योगदान करेंगे।

कृ०पृ०उ०

7. नवनियुक्त कनीय अभियंता(याँत्रिक) का नियुक्ति पत्र राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित करने हेतु ई-गजट कोषांग से अनुरोध किया गया है। कार्यालय प्रधान/ योगदान स्वीकृत करने वाले पदाधिकारी से अनुरोध होगा कि वे राजपत्र की प्रति से नियुक्ति आदेश की सत्यता की जाँच कर लेंगे। साथ ही नियुक्ति आदेश की सत्यता की जाँच विभागीय वेबसाईट के NOTICE BOARD से भी कर लेंगे।
8. संबंधित कार्यालय प्रधान द्वारा प्रथम वेतन विपत्र के साथ नियुक्ति आदेश की अभिप्रमाणित प्रति कोषागार में भेजी जायेगी, जिससे नियुक्ति पदाधिकारी के हस्ताक्षर का मिलान कोषागार पदाधिकारी द्वारा पूर्व में उपलब्ध कराये गये नियुक्ति आदेश से कर लेंगे।
9. संबंधित कार्यालय प्रधान द्वारा नवनियुक्त कनीय अभियंताओं का नई अंशदायी पेंशन योजना अंतर्गत स्थायी लेखा संख्या (PRAN No.) अवश्य खोल लिया जायेगा।
10. नवनियुक्त कनीय अभियंता(याँत्रिक) को योगदान के समय असेनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
11. योगदान के समय दहेज नहीं लेने एवं देने संबंधी स्व-घोषणा पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
12. नवनियुक्त कनीय अभियंता(याँत्रिक) को पदस्थापित कार्यालय में योगदान करने हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
13. पदस्थापन कार्यालय में योगदान की तिथि से परिवीक्षा अवधि की समाप्ति के पश्चात् सेवा संतोषप्रद रहने पर नियमानुसार नवनियुक्त कनीय अभियंता(याँत्रिक) की सेवा सम्पुष्ट की जायेगी।
14. संबंधित कार्यालय प्रधान योगदान करने वाले नवनियुक्त कनीय अभियंता(याँत्रिक) की सूचना अभियंता प्रमुख कार्यालय एवं विभाग को अविलम्ब उपलब्ध करायेगे।
15. नवनियुक्त कनीय अभियंता(याँत्रिक) द्वारा राज्य सरकार एवं लघु जल संसाधन विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का अनुपालन किया जायेगा।
16. संबंधित कार्यालय प्रधान/ योगदान स्वीकृत करने वाले पदाधिकारी को यदि आदेश में टंकण त्रुटि परिलक्षित होती है तो इससे अविलम्ब अभियंता प्रमुख कार्यालय एवं विभाग को अवगत करायेगे।
17. यदि भविष्य में आदेश में कोई भूल अथवा टंकण त्रुटि आदि परिलक्षित होती है तो इसे तदनुसार संशोधित कर दिया जायेगा।


(सुनील कुमार)
अभियंता प्रमुख,

लघु जल संसाधन विभाग, पटना।

ज्ञापांक-अभि0प्र0/ल0ज0सं0वि0/मु0 स्था0-29-01/2025-

प्रतिलिपि :- महालेखाकार, बिहार, पटना/ सभी अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव/ सचिव/ सभी विभाग/ विभागाध्यक्ष/ सभी प्रमण्डली आयुक्त/ सभी जिला पदाधिकारी/ संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


अभियंता प्रमुख,

लघु जल संसाधन विभाग, पटना।

ज्ञापांक-अभि0प्र0/ल0ज0सं0वि0/मु0 स्था0-29-01/2025-

प्रतिलिपि :- सभी मुख्य अभियंता/ सभी अधीक्षण अभियंता/ सभी कार्यपालक अभियंता/ सभी सहायक अभियंता/ संबंधित सभी नवनियुक्त कनीय अभियंता, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


अभियंता प्रमुख,

लघु जल संसाधन विभाग, पटना।

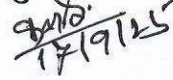
कृ0पृ0उ0

ज्ञापांक-अभि0प्र0/ल0ज0सं0वि0/मु0 स्था0-29-01/2025- 1079 /पटना, दिनांक- 17.09.25

प्रतिलिपि :- माननीय मंत्री के आप्त सचिव/ सचिव के प्रधान आप्त सचिव/ सभी विभागीय पदाधिकारी/ आई0टी0 मैनेजर, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना के वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।


अभियंता प्रमुख,

लघु जल संसाधन विभाग, पटना ।


17/9/25